Conduct of election Rules.1961 (Statutory Rules and Order)

FORM - 21 C

(See. rule 64)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan From 197-DAG Assembly Constituency

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People act. 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules,1961, I declare that:-

Shri KALURAM (Name)

GANV UMRIYA TEHSIL GANGDHAR DIST JHALAWAR (Address)

Sponsored by BHARATIYA JANTA PARTY

(Name of recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency

Place: Jhalawar Date: 11/12/2018

(Kamal singh Yadav)
Returning Officer
(Sub Divisional Officer & Sub
Divisional Magistrate, Bhawanimandi)
197- Dag Assembly Constituency

निर्याचनों का संचालन नियम,1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21-ग

(नियम 64 देखिये)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

197—डग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये सदस्य का निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि:—

श्री कालूराम

गाँव उमरिया तहसील गंगधार जिला झालावाड

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये है ।

स्थान : झालावाड़

दिनांक : 11/12/2018

(कमलसिंह यादव) रिटर्निंग अधिकारी (उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी) 197—डग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र